फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

मन्दिर मूर्ति बाराजी बनाम हनुमान वगै0

दमा संख्या : 64/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 13.10.2025 को पेश हों।	
13.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र मे अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 109/1 रकबा 0.8200है0 भूमि वाके ग्राम लाली, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में वादी मन्दिर मूर्ति बाराजी के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिसका संरक्षण करना माननीय न्यायालय का दायित्व है। माननीय न्यायालय स्वयं देवस्थान समिति के अध्यक्ष है। तहसीलदार महोदय को रिसिवर नियुक्त किया हुआ है तथा उक्त भूमि जरिये रिसिवर कब्जे राज ली हुई है। प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने एक भूमाफिया गिरोह बना रखा है, तथा वादी की भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है। इसी फीराक में प्रतिवादी सं0 10 ने दिनांक 13.04.2017 को श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसकी पालना करने के लिए तहसीलदार जी ने हल्का पटवारी को लिखा था। वादी को विस्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज होने के बावजूद बिना वादी को सुनवाई का असवर प्रदान किये ही उक्त मद नम्बर एक में दर्ज भूमि का नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवादीगणों के नाम से भर दिया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने एक भू माफिया वर्णित गिरोह बना रखा है, जो ऐन–केन प्रकारेण उक्त वादांकित भूमि का नामा0 अपने नाम से खुलवाकर भूमि को बैचान, हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द करना चाहते है। वादी मन्दिर मूर्ति एक शास्वत अवयस्क है। जो कि न्यायालय द्वारा संरक्षित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 'It is The Solemn Duty Of And Legal Obligation of the Sate Administrative Authorities And Court to Protect The intrest Of Minor, Disabled Preson And infirm is entitiled to Specil Protection Of Law" बावजूद इसके प्रतिवादीगणो के नाम पटवारी हल्का की मिलिभगत से इन्तकाल किया जा रहा है। जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी सं0 11 जो कि देवस्थान समिति का उपाध्यक्ष है तथा मन्दिर मूर्ति की कृषि भूमि भी प्रतिवादी सं0 11 के संरक्षण में है। मन्दिर मूर्ति शास्वत अव्यस्क है। जिसके हितो की संरक्षणार्थ कानूनी कार्यवाही नही की जा रही है। जिससे मन्दिर की ओर से वाद लाना लाजिम हुआ है। ग्रामीण अंचल देवस्थान समिति जमवारामगढ के अध्यक्ष श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय है एवं उपाध्यक्ष तहसीदार महोदय है। जिनके संरक्षण में मन्दिर मूर्ति बाराजी की देखरेख की जा रही है। जिसके हित में वाद स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने अपनी बहस में जवाब दावें में अंक्रित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 109/1 रकबा 0.8200है0 वाके ग्राम लाली से वादी/मन्दिर मूर्ति बाराजी का कोई लेना देना व संबंध सरोकार नही है। उक्त भूमि वादी/मन्दिर मूर्ति बाराजी की नही है, जिसके संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय	

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 06.07.2007 द्वारा मन्दिर मूर्ति का रेफरेन्स खारिज किया जा चुका
है तथा विवादित भूमि के संबंध में सेटलमेंट खतौनी संवत 2008 से 2027
में मंन्दिर खुदकाश्त भूमि नही रही है। जिससे भी विवादित भूमि में वादी
का कोई संबंध नही है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ ने विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण सं0 190/11 व प्रकरण
सं0 155/11 के निर्णय अनुसार जॉच होने पर विवादित भूमि को रिसिवरी
से मुक्त कर काश्तकारों अर्थात प्रतिवादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया है।
जो कि वर्तमान में उक्त भूमि पूर्णतया रिसिवरी से मुक्त होकर मि
प्रतिवादीगण के विधिक हक अधिकारों अनुसार कब्जे व सुपुर्दगी में स्थि
है। हक खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादीगण को भू माफिया गिरो
कहना वादीकी ओर से एक भूल है तथा अपने अधिकारों का उपयो
उपभोग करने के प्रतिवादीगण अधिकारी है। विवादित भूमि मन्दिर मू
वादी की नही है। जिससे वादी के हित में न्यायालय द्वारा संरक्षित भी नहीं
है। चूकि विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वार
अपने निर्णय दिनांक 11.04.2017 के तहत रेफरेन्स प्रकरण सं
2758/2009/जयपुर उनवान सरकार बनाम हनुमान सहाय वगै0 में पारि
निर्णय अनुसार भूमि वादग्रस्त को वादी के हित में मन्दिर मूर्ति बाराजी की
भूमि नही माना गया एवं रेफरेन्स को खारिज फरमाया गया है, जिसके
पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की एक पीठ ने अपने निर्ण
दिनांक 31.08.2017 एस0बी0सिविल रिट नं0 5963/2017 द्वारा प्रकरण क
पुनः विचार हेतु रिमाण्ड किया गया, जिसके विरूद्व राजस्थान उच्च
न्यायालय जयुपर डी0बी के समक्ष एस0बी0सिविल रिट नं0 1593/2017
पारित निर्णय दिनांक 08.01.2018 द्वारा प्रकरण उनवान हनुमान बना
मन्दिर मूर्ति बाराजी वगै0 में निर्णय दिनांक 31.08.2017 एस0बी0सिविल रि
नं0 5963/2017 को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के ओब्जर्वेशन क
सही मानते हुए न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को स्वतंत्र रूप से निर्ण
करने हेतु भिजवाया है। इस प्रकार से उक्त प्रकरण के संबंध मे पूर्व
पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में विरचित रेफरेन्स जैर निर्णय राजा
मण्डल अजमेर पेण्डिग है तो उसके चलते माननीय न्यायालय में विवादि
भूमि को मूर्ति मन्दिर बाराजी की भूमि के मिथ्या कथनों अनुसार माननी
अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने का अधिकार वादी को क
नही है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावें।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली
उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादांकित भूमि
वादी का कब्जा नही है तथा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तक
अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करने हेतु वादी का कब्जा होना आवश्
है एवं वादांकित भूमि रिसीवर भूमि भी है। जिससे उक्त भूमि पर
कब्जे के प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उ
नही समझते है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दा
दफ्तर हों।

मन्दिर मूर्ति

श्रीमानजी,
प्रतिवादी सं0 9

1. यह कि दावे का मद
तकमील किये गये
109/1 रकबा 0.
वादी/मन्दिर मूर्ति बा
नहीं है।

2. यह कि दावे का मद
तकमील किये गये है
मूर्ति बाराजी की नहीं
निर्णय दिनांक 06.07.
जा चुका है तथा विव
2008 से 2027 में म
विवादित भूमि में वादी

3. यह कि दावे के मद
से तहरीर व तकमील
कि न्यायालय उपखण्ड
सम्बन्ध में प्रकरण सं0
अनुसार

Scanned with OKEN Scanner